न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.2 गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी–रेशमा खान, जिला न्यायाधीश संवर्ग

1. अपराधिक निगरानी संख्याः 09/2021 (128/2019)

सीएनआर नंबर RJSM070011662019

रमेशचंद पुत्र नारायण लाल निवासी सुभाष कोलोनी कोलीपाडा, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज. **–निगरानीकर्ता**

बनाम

1. सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक अदालत हाजा गंगापुर सिटी।

2. बुद्धराम पुत्र जीवनराम निवासी नसिया कॉलोनी, कोलीपाडा, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। **गैर निगरानीकर्ता**

2. अपराधिक निगरानी संख्याः 79/2021 (137/2019)

सीएनआर नंबर RJSM070012152019

कोली समाज कल्याण समिति कोलीपाडा गंगापुर सिटी जरिये अध्यक्ष बुद्धराम पुत्र जीवनराम निवासी कोली पाडा गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर. **–निगरानीकर्ता**

बनाम

1. सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक अदालत हाजा गंगापुर सिटी।
2. घासीलाल पुत्र जौहरीलाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
3. कमलेश कुमार पुत्र जैनिया लाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
4. हेमराज पुत्र बाबूलाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
5. **हुकमचंद पुत्र विशन्या निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।....मृतक**
6. बाबूलाल पुत्र किशोर निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
7. प्रभूलाल पुत्र भैरूलाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
8. **परभातीलाल पुत्र कल्लूराम निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।....मृतक**
9. प्रभूलाल पुत्र जैला निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
10. रवि कुमार पुत्र देवीलाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
11. इन्द्र कुमार पुत्र पूनमचंद निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
12. रमेशचंद पुत्र कानाराम निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
13. परसादी पुत्र मांगीलाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।

14. सुआलाल पुत्र भौरीलाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।

15. जगदीश कुमार पुत्र प्रभूलाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।

16. हरीश कुमार पुत्र राधेलाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।

17. रमेशचंद पुत्र नारायणलाल निवासी सुभाष कॉलोनी, गंगापुर सिटी।

गैर निगरानीकर्ता

श्रीमती शालिनी गोयल, अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी द्वारा एफआइआर नंबर 547/2017, एफआर नंबर 372/2017 पुलिस थाना गंगापुर सिटी परिवादी बुद्धराम में दिनांक 03.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी

उपस्थिति,

1. श्री श्यामसुंदर वर्मा, अधिवक्ता निगराकार रमेशचंद की ओर से
2. श्री घनश्याम सिंह, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से
3. श्री मो.सैफ कलाम, अधिवक्ता परिवादी/गैर निगराकार सं.2 बुद्धराम की ओर से

निर्णय **दिनांक 20.07.2026**

1. निगरानीकर्तागण की ओर से पृथक पृथक निगरानी एफआइआर नंबर 547/2017, एफआर नंबर 372/2017 पुलिस थाना गंगापुर सिटी में विचारण न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2019 के विरूद्ध पेश की है, जो एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एक साथ निस्तारित की जा रही हैं।

2. निगरानी–याचिका से सम्बन्धित प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी/गैर निगराकार बुधराम की ओर से एक परिवाद निगराकार व 15 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया गया, जिसे धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना गंगापुर सिटी को भेजने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 547/2017 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान किया गया व बाद अनुसंधान अदम वकू में एफआर पेश की गई।परिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की व धारा 200 व 202 दं.प्र.सं. के तहत स्वयं व गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा निगराकार रमेशचंद के विरूद्ध धारा 420 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया एवं 15 अन्य व्यक्तियों (गैर निगराकार सं.2 से 16) के विरूद्ध कोई अपराध बनना नहीं मानते हुए कार्यवाही ड्रोप की गई, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानीकर्ता रमेशचंद की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका में यह तथ्य अभिलिखित हुए हैं कि विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश गैर कानूनी होने के

कारण निरस्त किये जाने योग्य है। पंच कोली समाज संस्था से निगराकार का कोई संबंध नही है और न ही निगराकार को इस संस्था की जानकारी है। उक्त संस्था के सदस्यों, पदाधिकारियों की सूची में भी इसका नाम नहीं है, उक्त संस्था का अध्यक्ष घासीलाल है न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेज व सबूत के परिवादी के कथनों पर विश्वास करके आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। निगराकार रेल्वे में ड्राइवर है और भूखण्ड संख्या 164, 165 पंच कोली समाज धर्मशाला निर्माण के लिए आवंटित हुए थे जो निगराकार के पिता नारायण लाल द्वारा नगर परिषद गंगापुर सिटी में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर ही आवंटित हुए थे और उस समय पंच कोली समाज का अध्यक्ष नारायण लाल था, इसलिए निगराकार व परिवादी के बीच उसी समय से सामाजिक रंजिश चली आ रही है, परिवादी कोली समाज का अध्यक्ष है एवं वह उक्त भूखण्डों पर कबीर मंदिर का निर्माण करना चाहता है, परिवादी ने भूखण्डों को हडपने के उद्देश्य से पंच कोली समाज की फर्जी सील भी बना रखी है। उक्त भूखण्डों को माननीय राज.उच्च न्यायालय, जयपुर ने निर्णय दिनांक 19.02.2013 के अनुसार पंच कोली समाज का माना है। अंत में निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 03.09.2019 निरस्त करने की प्रार्थना की।

4. परिवादी/गैर निगराकार सं.2 बुद्धराम की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका में यह तथ्य अभिलिखित हुए हैं कि विचारण न्यायालय ने केवल निगराकार रमेशचंद के विरूद्ध धारा 420 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिा है एवं अन्य गैर निगराकार सं.2 से 16 के विरूद्ध प्रसंज्ञान नहीं लिया है जबकि उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। पूर्व में भी विपक्षीगण ने इसी प्रकार की जालसाजी कर मिथ्या संस्था बनायी थी, जिसकी एफआईआर नंबर 251/2006 दर्ज हुई, जिसमें इन लोगों ने राजीनामा कर फर्जी ढंग से बनायी गई संस्था को समाप्त कवाने का करार 500 रूपये का स्टाम्प पर करार किया। विपक्षी सं.2 से 17 निरतंर कोली समाज की धर्मशाला के लिए आवंटित भूखण्ड संख्या 164 व 165 को हडपने के लिए प्रयासरत है। विपक्षी सं.2 से 17 द्वारा प्रकरण में दो मर्तबा फर्जी संस्था बनाकर उसके जरिये नगर परिषद में साज कर गलत तरीके से निर्माण स्वीकृति के लिए पत्रावली तक पेश कर दी। अंत में गैर निगराकार सं.2 से 17 के विरूद्ध समुचित धाराओं में प्रसंज्ञान लिये जाने की प्रार्थना की गई।

5. दौराने बहस निगरानीकर्ता ने प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त करने का निवेदन किया, जिसका विरोध गैर निगराकारगण के द्वारा किया गया।

6. बहस सुन पत्रावली का अध्ययन एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। इस निगरानी याचिका के निस्तारण हेतु न्यायालय के द्वारा यह देखा जाना है कि क्या विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 03.09.2019 शुद्ध, वैध एवं औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं?

7. न्यायालय के समक्ष यह दृष्टिगत है कि अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि नगर सुधार न्यास, गंगापुर सिटी द्वारा भूखण्ड संख्या 164 एवं 165 पंच कोली समाज के नाम धर्मशाला निर्माण हेतु आवंटित किए गए थे। परिवादी/गैरनिगराकार सं.2 का आरोप है कि उक्त भूखण्डों पर अवैध अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त द्वारा वर्ष 2011–12 में पंच कोली समाज के नाम से पंजीयन संख्या 5/2011–12 की एक संस्था कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत कराई गई। उक्त कृत्य के संबंध में परिवादी बुधराम द्वारा दिनांक 21.04.2016 को एफ.आई.आर. संख्या 251/2016 धारा 420, 467 एवं 468 भा.दं.सं. के अंतर्गत दर्ज कराई गई। अनुसंधान के दौरान पक्षकारों के मध्य ₹500/– के स्टाम्प पर राजीनामा संपादित हुआ, जिसके अनुसार उक्त संस्था को भंग किया जाना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। परिवादी/गैर निगराकार सं.2 का आगे यह आरोप है कि पूर्व में राजीनामा कर संस्था को समाप्त करने के उपरांत भी पुनरीक्षणकर्ता ने लगभग पंद्रह अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पुनः दिनांक 13.01.2017 को पंच कोली समाज के नाम से पंजीयन संख्या 58/2016–17 की एक अन्य संस्था का पंजीयन कराया,जिसका उद्देश्य पुनः उन्हीं भूखण्डों संख्या 164 एवं 165 पर अधिकार स्थापित करना था। इसी आधार पर वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनुसंधान हेतु प्रेषित किया गया, जिसके फलस्वरूप थाना गंगापुर सिटी पर एफ.आई.आर. संख्या 547/2017 दर्ज हुई।अनुसंधान पूर्ण होने पर अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) प्रस्तुत किया गया, जिसमें किसी अपराध का प्रथमदृष्टया प्रमाण उपलब्ध न होना अभिमतित किया गया। उक्त अंतिम प्रतिवेदन के विरुद्ध परिवादी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विरोध प्रार्थना–पत्र को परिवाद के रूप में ग्रहण करते हुए धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवादी बुधराम के कथन तथा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शान्तिलाल, मुरारीलाल एवं रामचन्द के कथन अंकित किए। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उक्त साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत न्यायालय ने दिनांक 03.09.2019 के आदेश द्वारा अंतिम प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध का संज्ञान ग्रहण किया।

8. पुनरीक्षणकर्ता रमेशचंद का मुख्य तर्क यह है कि दिनांक 13.01.2017 को पंजीकृत संस्था एक पृथक संस्था है तथा उसका उससे कोई संबंध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त संस्था के पदाधिकारियों अथवा सदस्यों में पुनरीक्षणकर्ता का नाम कहीं अंकित नहीं है, अतः मात्र इस आधार पर कि पूर्व के राजीनामे के पश्चात पुनः संस्था का गठन हुआ, उसे अभियुक्त नहीं ठहराया जा सकता। यह भी कहा गया है कि अभिलेख पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे पुनरीक्षणकर्ता

का उक्त संस्था के पुनर्गठन से संबंध स्थापित होता हो। पक्षकारों के तर्कों पर विचार करने तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन करने पर यह न्यायालय पाता है कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट, अनुसंधान अधिकारी की राय से आबद्ध नहीं होता। यदि विरोध प्रार्थना–पत्र एवं धारा 200 तथा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित कथनों तथा अन्य सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टया अपराध परिलक्षित होता है,तो मजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से संज्ञान ग्रहण करने के लिए सक्षम है। वर्तमान प्रकरण में विद्वान मजिस्ट्रेट ने अंतिम प्रतिवेदन को यंत्रवत अस्वीकार नहीं किया है। परिवादी एवं उसके साक्षियों के कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के उपरांत ही प्रथमदृष्टया संतुष्टि प्राप्त कर धारा 420 भा.दं.सं. का संज्ञान लिया गया है।

9. जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता रमेशचंद के इस तर्क का प्रश्न है कि दिनांक 13.01.2017 को पंजीकृत संस्था से उसका कोई संबंध नहीं है, यह तथ्य निर्विवाद रूप से इस स्तर पर निर्णीत नहीं किया जा सकता। यद्यपि पुनर्गठित संस्था के दस्तावेजों में पुनरीक्षणकर्ता का नाम प्रत्यक्ष रूप से अंकित नहीं है, तथापि परिवादी का स्पष्ट आरोप है कि उक्त संस्था का गठन पुनरीक्षणकर्ता के निकट सहयोगियों के माध्यम से उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया, जिसके लिए पूर्व में संस्था का गठन कर राजीनामा किया गया था। पुनर्गठित संस्था के पदाधिकारियों का पुनरीक्षणकर्ता से संबंध था अथवा नहीं तथा पुनरीक्षणकर्ता की उसमें वास्तविक भूमिका क्या थी, ये सभी तथ्य साक्ष्य के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के उपरांत ही निर्णीत किए जा सकते हैं। इन विवादित तथ्यों का निर्णय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। प्रसंज्ञान ग्रहण करने के स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया अपराध का प्रकटीकरण होता है अथवा नहीं। इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा अथवा उसके बचाव की संभावित सत्यता का परीक्षण करना विधिसम्मत नहीं है। इसी प्रकार पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी अत्यंत सीमित है। पुनरीक्षण न्यायालय केवल यह परीक्षण करता है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि, अधिकारिता संबंधी दोष, भौतिक अनियमितता अथवा प्रत्यक्ष विकृति तो नहीं है। यदि आदेश उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायिक मस्तिष्क के समुचित प्रयोग के पश्चात पारित किया गया है, तो मात्र इसलिए उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि किसी अन्य दृष्टिकोण की भी संभावना है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.09.2019 का आदेश अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने अंतिम प्रतिवेदन, विरोध प्रार्थना–पत्र, धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार कर स्वतंत्र रूप से प्रथमदृष्टया संतुष्टि प्राप्त की है। आदेश में न्यायिक मस्तिष्क का समुचित प्रयोग परिलक्षित होता है तथा उसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि, अधिकारिता संबंधी दोष, भौतिक अनियमितता अथवा ऐसी विकृति

परिलक्षित नहीं होती, जिसके आधार पर पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर गैर निगराकार सं.2 से 16 के विरूद्ध अपराध की विशिष्टि के संबंध में प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निगराकार कोली समाज जरिये अध्यक्ष बुद्धराम कोली की निगरानी याचिका भी खारिज किये जाने योग्य है। उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निगराकारगण की ओर से प्रस्तुत दोनों निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

12. अतः निगरानीकर्ता रमेशचंद व बुद्धराम की ओर से प्रस्तुत दोनों निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है व विद्वान विचारण न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी द्वारा एफआईआर नंबर 547/2017 में प्रस्तुत एफआर 372/2017 में दिनांक 03.09.2019 को पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

13. इस आदेश की एक प्रति मय विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली को अविलम्ब प्रेषित की जावें।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.2, गंगापुर सिटी

14. आदेश आज दिनांक 20.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.2, गंगापुर सिटी